



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक २० (२)]

गुरुवार, डिसेंबर १९, २०१९/अग्रहायण २८, शके १९४१

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १९ दिसम्बर, २०१९ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. A. BILL No. XLVIII OF 2019.

A BILL

**FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL
CORPORATIONS ACT.**

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४८ सन् २०१९।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९४९ **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना का ५९। इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

सन् १९४९ का
५९ की धारा
५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) के, प्रथम परन्तुक में, “महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् “किंतु, **राजपत्र** में महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रकाशन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक के दिन तक” शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९४९
का ५९।

सन् २०१७
का महा.
९।

सन् २०१९
का महा.।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ की, उप-धारा (३), महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ९ सन् २०१७ की अधिनियमिति के पूर्व यह उपबंध करती है कि, नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में केवल एक पार्षद निर्वाचित होगा। सन् २०१७ के उक्त अधिनियम द्वारा महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) संशोधित की गयी थी, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, प्रत्येक वार्डों में यथा संभव शीघ्र, चार पार्षद निर्वाचित होंगे किन्तु, तीन से कम नहीं होंगे और पाँच पार्षदों से अधिक नहीं होंगे, और प्रत्येक मतदाता, उसके वार्डों में निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की संख्या के मतों की समान संख्या में मत देने के लिये हकदार होगा।

२. विद्यमान स्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात और वार्डों में सुचारु कार्य और विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व **साथ ही साथ**, निगमों के तेज विकास के लिये अधिक जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकार यह उपबंध करना इष्टकर समझती है कि, नगर निगम के प्रत्येक वार्डों के लिये उक्त अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) के प्रथम परन्तुक में यथोचित संशोधन द्वारा प्रत्येक एक पार्षद निर्वाचित होगा।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपूर,
दिनांकित १८ दिसम्बर, २०१९।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १९ दिसम्बर, २०१९।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।